

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH पहली मंजिल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009

FIRST FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD – 380009 \$\text{sthp-cgstamdnorth@gov.in} \text{\$

<u>स्थापना आदेश संख्या / ESTABLISHMENT ORDER NO.:19/2021 दिनांक: 22.11.2021</u>

विषय : संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रौन्निति योजना (एमएसीपीएस) - श्रेणी 'ख' (राजपत्रित

अराजपत्रित) तथा श्रेणी-'ग' अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन देने के संबंध में | Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) - Grant of Financial Up-

gradation to Group-'B' (Gazetted & Non-Gazetted) & Group-'C' Officers – m/r.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था.(डी), दिनांक 19.05.2009, तथा एमएसीपीएस के संबंध में समेकित दिशानिर्देश, दिनांक 22.10.2019 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारी को एतदद्वारा एमएसीपीएस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:

In pursuance of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), New Delhi's O. M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19.05.2009, and Consolidated Guidelines regarding MACPS dated 22.10.2019, the undermentioned officer is hereby granted Financial Up-gradation, under the MACP Scheme:

1	(सर्वश्री/श्रीमती) व पदनाम Name of the Officer	पद जिस पर भर्ती किया गया और पदोन्नति और वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया Post to which recruited and granted promotion & financial up-gradation	पहले ग्रेड-वेतन Grade Pay before MACP	प्रदान वि Financia	ज्या गया al Up-gr: दूसरी	•
1	2	3	4	5	6	7
1	Tomy Thomas Superintendent	24.06 .1994 joined as Inspector 1st ACP w.e.f. 24.06.2006 NFG w.e.f. 23.06.2010 Promoted to Superintendent w.e.f. 15.12.2010	PB-II, GP- 5400 (Level- 9)	NA	NA	PB-III, GP-5400 (Level-10) w.e.f. 01.07.2020

2. उपरोक्त अधिकारि को दी गई एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

Financial Up-gradation under the MACP Scheme granted to the above officer is subject to, interalia, the following conditions:

 i. वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर, पदनाम वर्गीकरण या उच्च स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ जो किसी कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े होते हैं जैसे एचबीए, सरकारी आवास के आवंटन की अन्मति होगी।

On grant of financial up-gradation, there shall be no change in the designation classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as HBA, allotment of Government accommodation shall be permitted.

ii. नियमित पदोन्नित के समय उपलब्ध वेतन निर्धारण का लाभ एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएगा। इसलिए, वेतन बैंड में कुल वेतन के 3% और इस तरह के उन्नयन से पहले प्राप्त ग्रेड वेतन में वृद्धि की जाएगी। तथापि, नियमित पदोन्नित के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, यदि यह एमएसीपी योजना के तहत प्रदान किए गए समान ग्रेड वेतन में है।

Benefit of pay fixation available at the time regular promotion shall also be allowed at the time of financial up-gradation under the MACP Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3 % of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such up-gradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if it is in the same grade pay as granted under MACP Scheme.

iii. एमएसीपी योजना के तहत पदोन्नित/वित्तीय उन्नयन के अनुदान पर वेतन निर्धारण के संबंध में, लाभार्थी के पास एफआर 22(1)(ए)(1) के तहत एक विकल्प है कि वह अपने वेतन को उच्च पद/ ग्रेड पे में से किसी से भी निर्धारित करवा सकता है। उसकी पदोन्नित/उन्नयन की तारीख या उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से अर्थात् साल की पहली जुलाई। वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि व्यय विभाग के दिनांक 13.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-1 सी के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

With regard to fixation of pay on grant of promotion / financial up-gradation under MACP Scheme, beneficiary has an option under FR 22 (1) (a) (1) to get his pay fixed in the higher post / grade pay either from the date of his promotion / up-gradation or from the date of his next increment viz. 1st July of the year. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with clarification No. 2 of Department of Expenditure's O. M. No. 1/1/2008-1C dated 13.09.2008.

iv.एमएसीपी योजना केवल व्यक्तिगत आधार पर तत्काल उच्च ग्रेड वेतन/वित्तीय लाभ के अनुदान में नियुक्ति पर विचार करती है और संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति नहीं होगी।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher Grade pay / Grant of financial benefits only and shall not amount to actual / functional promotion of the employees concerned.

v. एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा और उसकी विरष्ठता स्थिति से कोई संबंध नहीं होगा। इस प्रकार, विरष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि ग्रेड में किनष्ठ कर्मचारी को एमएसीपी योजना के तहत उच्च वेतन / ग्रेड वेतन मिला है।

Financial up-gradation under the MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial up-gradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay / grade pay

under the MACP Scheme.

- vi.वेतन बैंड में आहरित वेतन और एमएसीपी योजना के तहत अनुमत ग्रेड वेतन सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में सेवानिवृति लाभों के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा। Pay drawn in the pay band and the grade pay allowed under the MACP Scheme shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee.
- vii.ठहराव के कारण वित्तीय उन्नयन की अनुमित दी गई है और कर्मचारी बाद में पदोन्नित से इनकार करते हैं, यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। तथापि, वह तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि वह पुन: पदोन्नित के लिए विचार करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं और अगले वित्तीय उन्नयन को भी इनकार के कारण प्रतिबंध की अविध तक के लिए आस्थिगित कर दिया जाएगा। Financial up-gradation has been allowed due to stagnation and the employees subsequently refuse the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial up-gradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial up-gradation till he agrees to be considered for promotion again and the next financial up-gradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.
- 3. संबंधित डी.डी.ओ. वित्तीय उन्नयन के लाभ की अनुमित देने से पहले अधिकारी के सेवा अभिलेखों से अनुमित वित्तीय उन्नयन की नियत तारीख की सत्यता की जांच और पुष्टि करेंगे । यदि कोई विसंगित पाई जाती है, तो उसे इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

The concerned D.D.O.s shall check and ensure the correctness of the due date of financial up-gradation allowed from the service records of the officers before allowing benefit of financial up-gradation. Discrepancy noticed, if any, should be brought to the notice of this office.

4. इसे आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद उत्तर के अनुमोदन से जारी किया जाता है | This issues with the approval of the Commissioner, CGST, Ahmedabad North.

(वी. के. जी. पिल्लई/V. K. G. Pillai)

सहायक आयुक्त (कावस)/Assistant Commissioner (P&V)

प्रति प्रेषित / Copy to:-

- 1. प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद ज़ोन | The Principal Chief Commissioner's Office, CGST, Ahmedabad Zone.
- 2. मुख्य लेखा अधिकारी/वेतन तथा लेखा कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद उत्तर The Chief Account Officer/Pay & Account Office, CGST, Ahmedabad North Commissionerate.
- 3. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, मण्डल-I/II/III/IV/V/VI/VII, अहमदाबाद उत्तर Deputy/Assistant Commissioner, CGST, Division-I/II/III/IV/V/VI/VII, Ahmedabad North Commissionerate
- 4. संबंधित/Individual.